भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2030

उत्तर देने की तारीख 13 मार्च, 2023

सोमवार, 22 फाल्गुन, 1944 (शक)

स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर

2030 श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी: श्री विनोद कुमार सोनकर: डॉ. सुकान्त मजूमदार: श्री भोला सिंह: श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव: श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) डॉ. जयंत कुमार राय: डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का उद्योग 4.0 के लिए कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन, सॉफ्ट स्किल्स, क्लाउड कंप्युटिंग, गेमिंग, डिजिटल डिजाइनिंग, डेटा सेवाओं, एसएफएक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों के लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां. तो क्या सरकार का देश में प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और आईटीआई तथा पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का मांग आधारित औपचारिक कौशल, एमएसएमई सहित नियोजकों के साथ जोड़ने और उद्यमशीलता योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए एक एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और पीएमकेवीवाई के तहत पहले की योजनाओं सहित उनकी शुरूआत से अब तक की गई प्रगति का वर्ष-वार ब्योरा क्या है और उक्त उद्देश्य के लिए स्वीकृत/व्यय की गई निधि का ब्योरा क्या है; और

(च) पिछले आठ वर्षों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की वर्ष/राज्य-वार कुल संख्या कितनी है और सरकार द्वारा प्रति वर्ष दो मिलियन छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख) जी हां। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के पिछले चरणों के कार्यान्वयन से मिले अनुभव और वर्तमान आवश्यकताओं के आधार पर, मंत्रालय ने पीएमकेवीवाई के नए संस्करण यानी पीएमकेवीवाई 4.0 की पुन: परिकल्पना की है। पीएमकेवीवाई 4.0 का मूल्यांकन और अनुशंसा व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा की गई है। उद्योग 4.0 के लिए नए युग के पाठ्यक्रम जैसे कोडिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन, सॉफ्ट स्किल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि पीएमकेवीवाई 4.0 में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कौशल प्रशिक्षण के वितरण नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है ताकि पीएमकेके और एनएसडीसी के सूचीबद्ध निजी प्रशिक्षण केंद्रों के अलावा स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और विभिन्न मंत्रालयों के संस्थानों आदि में विस्तृत व्यावसायिक बुनियादी ढांचे को शामिल किया जा सके।

(ग) जी हां। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए बजट घोषणा के अनुरूप, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 कुशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(घ) जी हां। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने मांग-आधारित औपचारिक कौशल को सक्षम बनाने, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जुड़ने और उद्यमशीलता स्कीमों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एकीकृत कुशल भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म आरंभ करने का प्रस्ताव किया है।

(ङ) और (च) स्कीम के प्रारंभ होने के बाद से पीएमकेवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत/खर्च की गई निधि का वर्ष-वार ब्योरा **अनुबंध क** में है। पिछले 8 वर्षों में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या की जानकारी, वर्ष/राज्य-वार **अनुबंध ख** में दी गई है। साथ ही, कुशल भारत मिशन के अंतर्गत, देश भर के युवाओं के लिए पीएमकेवीवाई के अलावा, एमएसडीई विभिन्न स्कीमों जैसे जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

अनुबंध - क

"स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर" के संबंध में दिनांक 13.03.को पूछे गए लोक सभा 2023 संख्याअतारांकित प्रश्न2030 के उत्तर के संदर्भ में।

पीएमकेवीवाई के तहत आवंटित और उपयोग की गई वर्ष और चरण-वार धनराशि:

(*करोड़ रुपए में)

स्कीम	**वर्ष**	**जारी अनुदान***	**अनुदान का उपयोग***
पीएमकेवीवाई 1.0	2015-16	1,335.00	1,174.48
पीएमकेवीवाई 2.0	2016-17	550.00	129.88
	2017-18	1,132.48	2,071.24
	2018-19	1,887.96	1,275.18
	2019-20	1,464.00	1,462.96
	2020-21	1,253.58	1,083.34
	2021-22	323.00	377.61
	2022-23	-	111.14
पीएमकेवीवाई 3.0	2021-22	644.87	179.25
	2022-23	-	158.87
योग		**8,590.89**	**8,023.95**

अनुबंध ख

पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित छात्रों की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या:

31-दिसंबर-22 तक एसआईपी रिपोर्ट के अनुसार पीएमकेवीवाई राज्य-वार वित्तीय वर्ष-वार अद्यतन									
	वित्तीय वर्ष -15-16	**वित्तीय वर्ष -16-17**	**वित्तीय वर्ष -17-18**	**वित्तीय वर्ष -18-19**	**वित्तीय वर्ष -19-20**	**वित्तीय वर्ष -20-21**	**वित्तीय वर्ष -21-22**	**वित्तीय वर्ष -22-23**	**कुल प्रशिक्षित/उन्मुख**
टीसी राज्य	**प्रशिक्षित/ उन्मुख**	**प्रशिक्षित/उन्मुख**	**प्रशिक्षित/उन्मुख**	**प्रशिक्षित/उन्मुख**	**प्रशिक्षित/उन्मुख**	**प्रशिक्षित/उन्मुख**	**प्रशिक्षित/उन्मुख**	**प्रशिक्षित/उन्मुख**	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	194	-		74	1,259	1,464	613	310	3,914
आंध्र प्रदेश	1,14,531	32,004	57,484	62,475	1,05,667	66,404	13,199	5,798	4,57,562
अरुणाचल प्रदेश	789	228	1,022	4,545	15,700	51,991	8,884	667	83,826
असम	27,867	10,797	37,582	49,854	1,98,896	3,62,506	24,517	8,721	7,20,740
बिहार	75,036	34,573	90,988	84,574	1,91,902	96,288	47,643	12,213	6,33,217
चंडीगढ़	3,983	1,111	1,923	5,198	9,507	3,834	893	491	26,940
छत्तीसगढ	28,090	9,375	22,990	42,360	46,548	16,151	9,495	4,356	1,79,365
दिल्ली	60,657	50,556	86,321	81,488	1,46,205	55,121	19,965	2,262	5,02,575
गोवा	499	180	846	1,751	4,300	1,709	604	176	10,065
गुजरात	37,821	12,769	31,661	83,956	1,55,195	48,489	35,001	6,503	4,11,395
हरियाणा	68,744	26,563	1,83,565	1,15,364	1,75,386	54,719	18,191	8,963	6,51,495
हिमाचल प्रदेश	18,702	4,619	16,627	32,048	48,870	15,612	8,724	3,539	1,48,741
जम्मू और कश्मीर	13,251	7,542	44,752	35,455	1,22,659	58,927	21,339	7,352	3,11,277
झारखंड	21,486	10,213	30,939	36,487	1,20,103	15,452	34,233	5,302	2,74,215
कर्नाटक	61,515	25,249	70,487	1,10,111	1,65,247	53,066	23,153	8,410	5,17,238
केरल	13,426	13,866	63,068	35,973	78,523	31,077	12,968	5,673	2,54,574
लद्दाख	75	-		149	1,937	181	731	246	3,319
लक्षद्वीप					60	90	120	-	270
मध्य प्रदेश	1,27,138	51,857	1,87,711	1,54,478	2,23,483	95,403	46,659	21,345	9,08,074
महाराष्ट्र	83,252	33,163	95,390	1,65,352	6,37,002	1,48,352	39,864	14,913	12,17,288
मणिपुर	1,153	8,856	4,876	4,430	28,962	34,540	6,424	1,146	90,387
मेघालय	1,574	405	4,440	7,117	11,999	17,769	3,406	1,245	47,955
मिजोरम	1,012	18	-	3,062	10,837	11,433	4,742	1,162	32,266
नगालैंड	853	599	1,718	1,422	17,364	14,399	4,184	1,803	42,342
ओडिशा	50,026	15,742	65,799	89,011	2,39,050	68,828	12,645	12,116	5,53,217
पुदुचेरी	6,032	1,869	3,385	6,317	7,172	3,241	1,622	689	30,327
पंजाब	59,133	29,183	1,02,251	63,732	97,681	57,054	18,539	7,568	4,35,141

राजस्थान	98,215	52,649	2,11,916	1,38,923	4,46,900	97,822	38,511	9,232	10,94,168
सिक्किम	739	147	525	1,932	5,123	3,634	1,322	381	13,803
तमिलनाडु	1,40,990	68,946	1,31,710	1,23,422	1,85,108	72,404	29,057	8,029	7,59,666
तेलंगाना	90,978	20,817	89,922	57,648	1,08,145	33,999	13,107	8,040	4,22,656
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	349	139	426	3,377	5,338	222	252	31	10,134
त्रिपुरा	13,490	2,240	13,290	7,549	50,388	46,676	4,490	1,608	1,39,731
उत्तर प्रदेश	2,13,611	88,335	3,51,613	3,03,099	6,56,829	2,39,286	69,015	25,568	19,47,356
उत्तराखंड	12,126	5,191	27,597	46,864	68,250	29,412	10,522	2,942	2,02,904
पश्चिम बंगाल	1,04,549	35,768	90,280	80,609	1,77,880	53,221	31,406	12,340	5,86,053
योग	**15,51,886**	**6,55,569**	**21,23,104**	**20,40,206**	**45,65,475**	**19,60,776**	**6,16,040**	**2,11,140**	**1,37,24,196**
आरपीएल उम्मीदवारों को उन्मुख करता है और नियोजन को अनिवार्य नहीं करता है									